रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022024-251687
CG-DL-E-01022024-251687

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 2024/माघ 11, 1945
No. 72] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 2024/MAGHA 11, 1945

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2024

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024

सं. आई.बी.बी.आई./2023-24/जी.एन./आर.ई.जी.108.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 2 के खंड (ङ) के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) तथा धारा 240 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) विनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) विनियम, 2019 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के स्पष्टीकरण में,-

(i) खंड (क) में, "सहयोगी नहीं है;" शब्दों और चिह्न के पश्चात् "और" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा।

(ii) खंड (ख) में, ";" चिह्न के स्थान पर "।" चिह्न रखा जाएगा ।

(iii) खंड (ग) का लोप किया जाएगा ।

3. मूल विनियमों में, विनियम 5 के उप-विनियम (1) के परन्तुक के खंड (ग) का लोप किया जाएगा ।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./726/2023-24]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) विनियम, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 412, तारीख 20 नवम्बर, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.051, तारीख 20 नवम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2024

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) (Amendment) Regulations, 2024

No. IBBI/2023-24/GN/REG108.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 and section 240 read with clause (e) of section 2 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 3, in sub-regulation (1), in explanation,

(i) in clause (a), after the word and mark "guarantor;", the word "and" shall be inserted.

(ii) in clause (b), for the mark and word "; and", the mark "." shall be substituted.

(iii) clause (c) shall be omitted.

3. In the principal regulations, in regulation 5, in sub-regulation (1), in the proviso, clause (c) shall be omitted.

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./726/2023-24]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019 were published *vide* Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG051, dated 20th November, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 412 on 20th November, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA